

13.6.18

पत्रावली न्याय आपले डार-२०१८ में न्यायालय
टाजा में पेश हुई। लोक अदालत की भावना से
पत्रावली का अवलोकन किया गया जो वादग्रस्त
सूत्रों पर ईट मट्टा संपरिवर्तन शुरू है तथा
वर्तमान में बन्द है इसलिये प्रकरण में कोई
कार्यवाही अंपरिवर्तन नहीं है एवं रजिस्ट्रार
विभाग की तरफ से कोई अपरिवर्तन भी नहीं है।
अतः वादी का वाद खारिज किया गया। पत्रावली
कैसल सुमर टोकर दर्ज नम्बर से कर दो।
और वही न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
साँभर लेक